

प्रेस नोट संख्या 24

दिनांक 19.06.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.06.2025 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/25 धारा 109, 352, 351(3), बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी में वांछित अभियुक्त अजय कुमार वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम आमपोखर मजरे गोरखापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं और मेरे गांव के अमृतलाल साथ में चण्डीगढ़ में नौकारी करते थे । अमृतलाल ने मेरी झूठी शिकायत कम्पनी मालिक से करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया था । उसी बात को लेकर मैं अमृतलाल से बदला लेना चाहता था । दिनांक 18.06.2025 को अमृतलाल को कैथोला भैरोपुर पानी टंकी के पास मारने के लिए खड़ा था तभी अमृतलाल और संजीव कुमार मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो मैंने इसी तमंचे से अमृतलाल को जान से मारने के नीयत से गोली मारी थी लेकिन वह बच गया और गोली संजीव कुमार को जाकर लग गयी मैं फिर से अमृतलाल को मारना चाहा परन्तु गोली नाल में फस गयी तो मैं वहां से भाग गया । थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- अजय कुमार वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम आमपोखर मजरे गोरखापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 27 वर्ष ।

बरामदगी-

- 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

- मु0अ0सं0 131/25 धारा 109, 352, 351(3) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री बृजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 राजकुमार सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 जंगबहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 मुकेश मौर्या थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/21 धारा 147, 148, 308, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।